

महिला विकास ऋण योजना

1	योजना का नाम	महिला विकास ऋण योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	महिला विकास ऋण योजनान्तर्गत महिलाओं को अचल सम्पत्ति बंधक रखे बिना अकृषि कार्य एवं डेयरी उद्देश्य हेतु 25000 रुपये तक का ऋण सुविधा दी जाती है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2000-01
4	देय सुविधाएं	अकृषि ऋण एवं डेयरी हेतु 25000 रु का ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाता है।
5	आवेदन का तरीका	ऋणी सदस्य को निर्धारित आवेदन पत्र में संबंधित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा में ऋण हेतु आवेदन करना होगा।
6	आवेदन कहां किया जावे	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं संबंधित शाखा में
7	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ol style="list-style-type: none"> 1- आवेदक को बैंक का सदस्य बनना होगा 2- महिला प्रस्तावित उद्योग एवं सेवा गतिविधि के संचालन हेतु सक्षम हो। 3- ऋण प्राप्त करने हेतु दो व्यक्तियों की जिनमे से एक महिला के पति अथवा निकटतम रिस्तेदार हो से ऋण एवं ब्याज के समय पर चुकारे के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जमानत देनी होगी। महिला के पति अथवा रिस्तेदार स्वयं के नाम से भारमुक्त संपत्ति हो, मूल

		<p>पत्रादि जमानत स्वरूप बैंक में प्रस्तुत करने होंगे।</p> <p>4- दूसरे जमानतदार की संपत्ति के पत्रादि की सत्यापित प्रति प्राप्त की जावे। आवेदन पत्र के साथ निम्न पत्रादि संलग्न करने होंगे ।</p>
8	सम्पर्क सूत्र	प्राथमिक बैंक मुख्यालय/संबंधित शाखा कार्यालय